एक केबिल टीवी के ईमेल पर ज़ेडएफ़आई का उत्तर

26 अगस्त 2020 को कथित रूप से एक केबिल टीवी का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सज्जन ने ज़ेडएफ़आई आफ़िस को फ़ोन किया और कहा कि वह ज़ेडएफ़आई का इन्टरव्यू करना चाहते हैं। उन से अनुरोध किया गया कि वह अपने प्रश्न ज़ेडएफ़आई को ईमेल कर दें। लेकिन ज़ेडएफ़आई को ये सवाल आज तक नहीं मिले हैं।

2. इस फ़ोन काल के 17 दिन बाद 12 सितम्बर 2020 को शाम 6 बजकर 6 मिनट पर ज़ेडएफ़आई ऑफ़िस को केबिल टीवी की तरफ़ से एक ईमेल प्राप्त हुआ जिस में भेजने वाले का नाम नहीं था और इस मेसिज में यह लिखा गया था कि वह केबिल टीवी "यूपीएससी जिहाद" पर एक स्पेशल सिरीज़ प्रस्तुत करने जा रहा है। "अपनी प्रोग्राम-रिसर्च में हमें आपके संगठन के भारत विरोधी और आतंकवाद से जुड़े संगठनों से डायरेक्ट / इन डायरेक्ट सम्बंधों का पता लगा है। हम आपको अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने और शंकाओं को दूर करने का अवसर देना चाहते हैं।"

3. ज़ेडएफ़आई इस ईमेल का निम्नलिखित उत्तर दे रहा हैः

4. जब किसी राष्ट्रवादी देशप्रेमी को किसी के राष्ट्रविरोधी सम्बंधों या गतिविधियों से जुड़े होने की सम्भावना की कोई जानकारी मिले तो उसे राष्ट्रहित की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई के वास्ते सरकार को सूचित करना चाहिए। ऐसा करने के बजाए केबिल टीवी ने इस पर कोलाहल पूर्ण डिबेट प्रसारित करने का निर्णय लिया।

5. इसके अतरिक्त, केबिल टीवी की ओर से ज़ेड.एफ़.आई. को ऐसे तथ्य, डेटा तथा डाक्यूमेण्ट्स उपलब्ध नहीं कराए गए जिन पर केबिल टीवी की उक्त जानकारी निर्भर है। यह बात पूर्वकल्पित "जानकारी" के खोखलेपन और एक रचे गये अभ्यासक्रम की ओर संकेत करती है।

6. केबिल टीवी के ईमेल में “जिहाद” शब्द का उपयोग बेमौक़ा लगता है। एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के अनुसार इसका अर्थ है “एक सराहनीय संघर्ष अथवा प्रयास”। मूलरूप से यह “सही बातों को बढ़ावा देने और ग़लत बातों को रोकने के मानवीय संघर्ष” को सन्दर्भित करता है। अतः कार्यक्रम का शीर्षक ही अपने आप में ऐसा है कि गोया फिर से रचा जाना चाहिए।

7. केबिल टीवी पर जो बेसिक डेटा दिखाया गया वह या तो ज़ेडएफ़आई वेबसाइट से कापी किया गया है या सरकारी वेबसाइट पर मौजूद जेड़.एफ़.आई. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्क्रीन पर नज़र आने वाले आंकड़ों को मुंह ज़ुबानी दस गुना कर के बताया गया, इस तरह जानबूझ कर इसकी ग़लत व्याख्या की गयी और साफ़ तौर से दुर्भावपूर्ण धारणा के साथ ऐसा किया गया।

8. तथापि, यदि तथ्यों पर आधारित दस्तावेज़ी प्रमाण से संलग्न कोई विशुद्ध प्रश्न है तो ईमेल द्वारा भेजा जाए, ज़ेडएफ़आई स्वागत करेगा और विधिवत उत्तर देगा।

श्याम सुन्दर सिंह
काउंसेलर, ज़ेडएफ़आई
13 सितम्बर 2020
info@zakatindia.org